

एचओ:एचआरओपीएस:116:2090

दिनांक:13-09-2024

दिनांक 30 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाली मौजूदा भारतीय बैंक की संघ कर्मचारी समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के दौरान सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सभी स्टाफ सदस्यों को भारतीय बैंक संघ की एक माह समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत शामिल करने के लिए नोटिस

महोदया/ महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान भारतीय बैंक संघ की कर्मचारी समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का कवरेज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी है। कर्मचारी (और उनके आश्रित) जो दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं और जो दिनांक 30 सितंबर 2024 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं (उपर्युक्त अवधि के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के पति या पत्नी सहित) को भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है।

भारतीय बैंक संघ की वर्तमान सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1 नवंबर 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी है। इस प्रकार कर्मचारी भारतीय बैंक संघ की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जिसके तहत सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के समूह को कवर किया गया है, की समाप्ति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भारतीय बैंक संघ सेवानिवृत्त की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत यानी दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 अक्टूबर 2024 के बीच एक माह का अंतराल है।

अतः उपर्युक्त सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों/ दिवंगत सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के पति या पत्नी के पास भारतीय बैंक संघ की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ( दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 अक्टूबर 2024) के तहत एक माह के लिए अर्थात् अक्टूबर 2024 के लिए स्वयं को और अपने आश्रितों को कवर करने का विकल्प है। एक माह की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तें एनआईसी द्वारा सूचित की गई कर्मचारियों की समाप्त हो रही समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के समान हैं।

बीमा कंपनी ने आगे स्पष्ट किया है कि "दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से दिनांक 30 सितंबर, 2024 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले बैंक कर्मचारियों को उनके कैडर के अनुरूप एसआई (बीमाकृत राशि) (यानी अधिकारियों के पास 4 लाख रुपये का एसआई होगा, और अवाई स्टाफ को 3 लाख रुपये का एसआई मिलेगा) के अनुसार एक माह की पॉलिसी हेतु नामांकित किया जाएगा। वे दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को कर्मचारी पॉलिसी से बाहर होंगे और दिनांक 1 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली नई वार्षिक सेवानिवृत्त पॉलिसी में शामिल हो सकते हैं।

इस पॉलिसी कवर का लाभ उठाने के लिए, सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समूह/दिवंगत कर्मचारियों के पति/पत्नी को अपना विकल्प केवल एचआर कनेक्ट के माध्यम से दिनांक 23.09.2024 तक ऑनलाइन जमा करना होगा। ईमेल/ टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से प्रस्तुत विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक माह की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 2023-24 का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन बैंक के एचआर कनेक्ट मॉड्यूल पर मेडिकल इंश्योरेंस विकल्प के तहत दिनांक 13.09.2024 से दिनांक 23.09.2024 तक सक्रिय/ उपलब्ध रहेगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:

<https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> -----> 'चिकित्सा बीमा' टाइल

(मेनू स्वतः स्पष्ट है)

प्रधान कार्यालय, मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकपुरी, बड़ौदा-390007। गुजरात. (भारत).  
Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R.C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).  
ई-मेल/ E-mail : [medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com](mailto:medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com), वेबसाइट/ Website : [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)

अपने एचआर कनेक्ट यूजर आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें।

एचआर कनेक्ट में पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ई-मेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

कृपया सुनिश्चित करें कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी/ मृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी के पेंशन/बचत बैंक खाते में दिनांक 24.09.2024 को डेबिट करने के लिए पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो।



यदि उनके संबंधित पेंशन/बचत खाते में 23 सितंबर, 2024 को पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं पाई जाती है, तो उन्हें अक्टूबर 2024 के महीने के लिए कवर नहीं किया जाएगा।

बीमाकर्ता, नेशनल इश्योरेंस कंपनी द्वारा सूचित की गई, एक माह (केवल दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक) के लिए आनुपातिक प्रीमियम राशि निम्नानुसार है:

समूह स्वास्थ्य बीमा आधारित पॉलिसी	आनुपातिक प्रीमियम	लागू जीएसटी	कुल प्रीमियम (जीएसटी सहित)
अवार्ड स्टाफ	1948	18%	2299
अधिकारी	2727	18%	3218

कृपया नोट करें कि बैंक दिनांक 23 सितंबर 2024 के पश्चात एक माह की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के पॉलिसी कवरेज में शामिल करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा,

विभाग/शाखाओं से अनुरोध है कि वे दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 30.09.2024 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संपर्क करें/उन्हें इसकी जानकारी दें और इसे अपने नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें।

  
(शैलेन्द्र सिंह)  
मुख्य महाप्रबंधक - एचआरएम  


HO:HROPS:116:2090

13-09-2024

**Notice to all Staff Members Retired/ would be retiring during the current IBA Employees GHI Policy expiring on 30th September, 2024 for inclusion under IBA One Month GHI Policy**

Dear Sir/ Madam,

As you are aware, the present IBA Employees GHI Policy's coverage is effective from 1<sup>st</sup> October 2023 to 30<sup>th</sup> September 2024. Employees (and their dependents) who have **retired on or after 1<sup>st</sup> October 2023 and those who are retiring up to 30<sup>th</sup> September 2024** (Including the spouse of those deceased employees during the afore-mentioned period) are also covered under this policy.

The present IBA Retirees GHI Policy is effective from 1<sup>st</sup> November 2023 to 31<sup>st</sup> October 2024, thus there is a gap of One month between the expiry of Employees IBA GHI Policy under which these group of retirees are covered and start of Retirees IBA GHI policy for the retired employees i.e. 1<sup>st</sup> October 2024 to 31<sup>st</sup> October 2024.

Hence, the above-mentioned retirees/ spouse of deceased retirees have an option to cover themselves and their dependents for one month i.e. October 2024 under **IBA GHI Policy**. (1<sup>st</sup> October 2024 to 31<sup>st</sup> October 2024). The terms and condition of the One Month GHI Policy is same as the expiring employees GHI Policy as conveyed by the NIC.

The Insurer had further clarified that **"Bank Employees retiring between 1<sup>st</sup> October, 2023 to 30<sup>th</sup> September, 2024 will only be enrolled in the Employees One Month policy, as per the corresponding SI for the cadre (i.e. Officers will have a SI of Rs. 4 Lakh, and Award Staff will have SI of Rs. 3 Lakh). They will exit the Employee's Policies on 31<sup>st</sup> October 2024 and may join the new annual Retirees Policy beginning from 1<sup>st</sup> November 2024."**

For availing this policy cover, the said group of retired/ to be retired employees/ spouse of deceased employees **should submit their OPTIONS ONLINE through HR Connect only latest by 23.09.2024. Option submitted through Email / Telephonic calls will not be entertained.**

The Online Application for availing of One Month GHI Policy 2023-24 will be active/ available from 13.09.2024 to 23.09.2024 on Bank's HR Connect Module under Medical Insurance Tile, path of which is given below:


<https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> -----> 'Medical Insurance' Tile

(The menu is self-explanatory)

Login by using your HR Connect User Id.

An OTP will be received on registered Mobile Number/ Email Id which is linked with HR Connect.

Please ensure that the eligible retirees / spouse of deceased employees maintain sufficient balance in their Pension/Savings Bank account for **debiting on 24.09.2024.**

  
प्रधान कार्यालय, मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकपुरी, बड़ौदा-390007। गुजरात. (भारत).  
Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R.C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).  
ई-मेल/ E-mail : [medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com](mailto:medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com), वेबसाइट/ Website : [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)


In case sufficient balance is not made available as on **23rd September 2024** in their respective Pension/Savings Bank account, he/she will not be covered for the month of October 2024.

The Pro Rata Premium amount for One month (from **1<sup>st</sup> October 2024** to **31<sup>st</sup> October 2024** only), as informed by insurer, the National Insurance Company is as under:

GHI Base Policy	PRORATA PREMIUM	GST Applicable	Total Premium (including GST)
Award Staff	1948	18%	2299
Officers	2727	18%	3218

Further, Bank will not entertain any request for inclusion in policy coverage of one month GHI Policy after **23rd September 2024**, which may kindly be noted.

Department/ Branches are requested to contact /convey this information to the ex-employees retired/would be retiring during the period 01.10.2023 to 30.09.2024 and also display the same on their Notice Board.

  
(Shailendra Singh)  
Chief General Manager - HRM